पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स–0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 1193 /अका./का.प./2010 रायपुर, दिनांक : 22 /05/2010

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक मंगलवार, दिनांक 18.05.2010 को अपरान्ह 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

01.	प्रो. एस.के. पाण्डेय	–	अध्यक्ष
02.	डॉ. (श्रीमती) प्रोमिला सिंह	–	सदस्य
03.	डॉ. अब्दुल अलीम खान	–	सदस्य
04.	डॉ. आर.पी. दास	–	सदस्य
05.	डॉ. ए.के. पति	–	सदस्य
06.	डॉ. विभूति रॉय	–	सदस्य
07.	डॉ. एस.के. सिंह	–	सदस्य
08.	डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	–	सदस्य
09.	डॉ. सुबीर कुमार मुखर्जी	–	सदस्य
10.	श्री अशोक लोहिया	–	सदस्य
11.	श्री देवजी भाई पटेल	–	सदस्य
12.	श्री कुलदीप सिंह जुनेजा	–	सदस्य
13.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.05.2010 प्रारंभ होने के पूर्व, कार्यपरिषद् के सदस्य श्री एम.सी. शर्मा के आकस्मिक निधन पर कार्यपरिषद् द्वारा शोक व्यक्त किया गया, इसी प्रकार बस्तर में हुए नक्सलवाद हमले के शिकार एवं गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। एक मिनट का मौन रखते हुए कार्यपरिषद् के सदस्य श्री एम.सी. शर्मा एवं नक्सलवाद हमले के पश्चात् मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

कार्यपरिषद् की बैठक में नियमित रूप से सचिव के रूप में उपस्थित होने वाली पूर्व कुलसचिव डॉ. इंदु अग्रवाल का भी स्मरण किया गया एवं उनके सचिव के रूप में कार्य करने की प्रशंसा करते हुए, विश्वविद्यालय में पदांकित कुलसचिव श्री के.के. चंद्राकर का सचिव के रूप में स्वागत् किया गया।

उपरोक्त कार्यवाही के बाद कार्यपरिषद् की बैठक प्रारंभ की गई।

कार्यवृत्त

बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिये गए :–

01 विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 16.04.2010 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 16.04.2010 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

02. विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 08.05.2010 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय : कुलपति जी ने विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 08.05.2010 की कार्यसूची पर हुई चर्चा एवं निर्णय पर विस्तृत रूप से सदस्यों को अवगत कराया। उन्होनें यह भी जिक्र किया कि छात्र एवं शिक्षक, शिक्षा प्रणाली से नियमित रूप से अवगत हो ऐसी व्यवस्था बनाया जाना उचित होगा। यू.जी.सी. द्वारा इस संबंध में सुझाए गए बिंदुओं को शत्–प्रतिशत पालन करने, एवं विश्वविद्यालय द्वारा नये Course प्रारंभ करने के संबंध में विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की अनुशंसा मान्य की गई। विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड के कार्यवृत्त में कार्यसूची 3 के निर्णय में नये Course प्रारंभ करने हेतु बिंदु क्रमांक 3 में हुई त्रुटि को सुधार करते हुए National Centre for Advance Materials Research किया गया। इन सभी कोर्स की अवधि छः माह से 1 वर्ष के अवधि के बीच होगी।

03. फिजियाथेरेपी कालेज बूढ़ापारा, रायपुर की जांच हेतु गठित जांच समिति के जांच प्रतिवेदन क्रमांक 460 दिनांक 12.11.2009 पर विचार करना।

निर्णय : फिजियाथेरेपी कालेज बूढ़ापारा, रायपुर की जांच हेतु गठित जांच समिति के जांच प्रतिवेदन के आधार पर निम्नानुसार निर्णय लिए गए –

(1) सत्र 2010–11 से महाविद्यालय के प्रथम वर्ष की सम्बद्धता प्रतिबंध की जाए।

(2) महाविद्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए कि क्यों न महाविद्यालय की अस्थायी सम्बद्धता समाप्त की जाए ? इसकी जानकारी से राजभवन एवं राज्य शासन को भी दी जाए इसके साथ–साथ छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर को भी आगामी कार्यवाही हेतु सूचित किया जावे।

04. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त अशासकीय महाविद्यालयों को निरीक्षण उपरांत मूल्यांकन के आधार पर श्रेणी बद्ध किया गया है। जिन महाविद्यालयों को 50 से कम अंक प्राप्त हुए हैं, उनके संबंध में समीक्षा समिति की रिपोर्ट 10.05.2010 पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त अशासकीय महाविद्यालयों को निरीक्षण उपरांत मूल्यांकन के आधार पर समीक्षा समिति की रिपोर्ट 10.05.2010 पर विचार किया गया एवं निम्नलिखित निर्णय लिए गए –

(1) 11 महाविद्यालयों को शून्य अंक प्राप्त हुए हैं या जिन महाविद्यालयों का अस्तित्व वर्तमान में नहीं है, इसकी सम्बद्धता तत्काल समाप्त की जाए।

(2) 50 ऐसे महाविद्यालय जिनको 50 से कम अंक प्राप्त हुए है उन्हें सत्र 2010 11 से प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए।

(3) ऐसे महाविद्यालयों को नये पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान नहीं की जावे।

(4) सभी 50 महाविद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए कि अनेक वर्षों से महाविद्यालय प्रारंभ होने के बाद भी वे परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों की पूर्ति क्यों नहीं की है ? तथा शर्तों की पूर्ति नहीं करने पर क्यों न स्थायी/अस्थायी सम्बद्धता समाप्त की जाए ? महाविद्यालय से जवाब प्राप्त होते ही प्रत्येक महाविद्यालय की पुनः समीक्षा की जाए तथा औसत अंक (49 से अधिक अंक) प्राप्त होने पर प्रथम वर्ष में प्रवेश के प्रतिबंध से मुक्त किया जाए।

जो महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर या अन्य विश्वविद्यालय से संबंधित है, ऐसे महाविद्यालयों के संबंध में संबंधित विश्वविद्यालय को सूचित किया जाए तथा इसकी उच्च शिक्षा विभाग को भी जानकारी भेजी जावे।

05. श्री एल.डी. देवरस, जांच अधिकारी के स्थान पर अन्य व्यक्ति को जांच अधिकारी नियुक्त करने के संबंध में श्री विक्टर एक्का उपकुलसचिव (निलम्बित) के अभ्यावेदन पर विचार करना।

<u>निर्णय</u> : श्री एल.डी. देवरस, जांच अधिकारी का त्याग पत्र स्वीकार किया गया। इनके स्थान पर जांच अधिकारी नियुक्ति हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया जावे। इससे माननीय उच्च न्यायालय को भी सूचित किया जाए।

06. बी.एस–सी. नर्सिंग पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने के संबंध में अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल नर्सिंग द्वारा छात्र श्री अभिषेक कुमार के संबंध में दिए गए अभिमत पर विचार करना।

<u>निर्णय</u> : बी.एस–सी. नर्सिंग पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने के संबंध में अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल नर्सिंग द्वारा छात्र श्री अभिषेक कुमार के संबंध में दिए गए अभिमत को मान्य करते हुए छात्र को अंतिम अवसर प्रदान किया जावे तथा इसे भविष्य के लिए उदाहरण न माना जाए।

07. लघुशोध प्रबंध/प्रोजेक्ट रिपोर्ट विलम्ब से जमा करने के संबंध में विचार करना।

<u>निर्णय</u> : 71 छात्र/छात्राओं के लघुशोध–प्रबंध/प्रोजेक्ट रिपोर्ट विलम्ब से जमा करने के प्रकरण पर कुलपति जी द्वारा दी गई अनुमति को स्वीकार करते हुए अनुमोदन किया गया। इसे भविष्य के लिए उदाहरण न माना जाए।

08. सेठ आर.सी.एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग द्वारा विश्वविद्यालय के निर्देशों का पालन न किये जाने के परिप्रेक्ष्य में अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने पर विचार करना।

<u>निर्णय</u> : सेठ आर.सी.एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग द्वारा परिनियम 27 एवं 28 का पालन नहीं करने के परिप्रेक्ष्य में अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने पर विचार किया गया एवं निम्नलिखित निर्णय लिए गए –

(1) महाविद्यालय की स्थायी सम्बद्धता वापस ली जावे।
(2) सम्बद्ध सभी पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में 2010–11 सत्र के लिए प्रवेश प्रतिबंध किया जाए।
(3) नये पाठ्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाए।

प्रकरण के निर्णय से राजभवन एवं उच्चशिक्षा–विभाग को भी अवगत कराया जाए।

09. विश्वविद्यालय शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को छठवें वेतनमान में दिनांक 01.10.2009 से 22 प्रतिशत एवं दिनांक 01.04.2010 से 27 प्रतिशत महंगाई भत्ता का भुगतान स्वीकृति एवं भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को छठवें वेतनमान में दिनांक 01.10.2009 से 22 प्रतिशत एवं दिनांक 01.04.2010 से 27 प्रतिशत महंगाई भत्ता का भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार किया गया एवं निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग की अनुमति की प्रत्याशा में शासन द्वारा देय छठवां वेतनमान में दिनांक 01.10.2009 से महंगाई भत्ता 16 प्रतिशत के स्थान पर 22 प्रतिशत एवं 01.04.2010 से महंगाई भत्ता 22 प्रतिशत के स्थान पर 27 प्रतिशत भुगतान किया जाए।

चूंकि विश्वविद्यालय द्वारा संबंधितों को 6वां वेतनमान प्राप्त हो रहा है, अतः छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग की अनुमति की प्रत्याशा में शासन द्वारा घोषित तिथि 01.01.2010 से 10% गृह भाड़ा भत्ता प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई।

पूरक विषयसूची

01. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 12.05.2010 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 12.05.2010 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

02 विश्वविद्यालय अध्ययनशालाओं में सत्र 2010–11 में प्रवेशित छात्रों के अध्ययन–शुल्क में वृद्धि करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय अध्ययनशालाओं में सत्र 2010–11 में प्रवेशित छात्रों के अध्ययन–शुल्क में वृद्धि करने के संबंध में निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया।

क्र.	पूर्व में निर्धारित	वर्तमान में अनुशंसित
01.	पूर्व में अध्ययन शुल्क रु. 1000/– (रु. एक हजार) प्रतिवर्ष लिया जाता रहा है।	चूंकि पाठ्यक्रम सेमेस्टर प्रणाली में है अतः अध्ययन शुल्क प्रति सेमेस्टर लिए जाने हेतु अनुशंसा की जाती है एवं शुल्क रु. 600/– (रु. छः सौ) प्रति सेमेस्टेर तय किया जाता है । जो रु. 1200/– प्रतिवर्ष होगा (20% वृद्धि के साथ।)
02.	छात्रावास वर्तमान शुल्क में वृद्धि किये जाने हेतु ब्यौरा निम्नानुसार है :–	
(1)	एक सीट वाला कमरा किराया 120/–	200/– प्रतिमाह प्रस्तावित संशोधित शुल्क
(2)	दों सीट वाला कमरा किराया 100/–	150/– प्रतिमाह
(3)	छात्रावास विकास शुल्क 350/–	500/– रु. प्रति सत्र
(4)	बगीचा तथा खेलकूद शुल्क 50/–	200/– रु. प्रति सत्र
(5)	अतिथि छात्र शुल्क 20/–	50/– रु. प्रति दिन
(6)	व्यक्तिगत कूलर की अनुमति लेने पर शुल्क 50/–	100/– रु. प्रति माह
04.	विवरण पत्रिका का मूल्य रु. 150/–	रु. 250/–

03 विश्वविद्यालय प्रबंधन संस्थान में संचालित एम.बी.ए. पाठ्यक्रम के लिए DTE से निर्धारित शुल्क लेने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय प्रबंधन संस्थान में संचालित एम.बी.ए. पाठ्यक्रम के लिए DTE से निर्धारित शुल्क लेने के संबंध में निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया –

01.	शिक्षण शुल्क	रू. 11,500/– प्रति सेमेस्टर
02.	न्यूज पेपर/मैगजीन	रू. 300/– प्रति वर्ष
03.	डिपार्टमेंटल फंक्शन	रू. 800/- प्रति वर्ष
04.	कल्चरर एक्टिविटिज	रू. 800/- प्रति वर्ष
05.	सेमीनार/वर्कशॉप	रू. 1000/ प्रति वर्ष
06.	प्लेसमेंट/काउंसिलिंग	रू. 1000/ प्रति वर्ष
07	इण्डस्ट्रियल टूर	रू. 700/ प्रति वर्ष
08	Alumini life membership	रू. 1000/

04. वर्ष 2009 के डिग्री मुद्रण के संबंध में विचार करना ।

निर्णय : मेसर्स, आफसेट प्रिंटिंग प्रेस सतना को 3 वर्ष के लिए डिग्री मुद्रण का अनुबंध दिनांक 05.05.2008 से किया गया था, जिसकी समाप्ति दिनांक 05.05.2010 को हो गई है। वर्ष 2008 की परीक्षा की कुछ डिग्री एवं वर्ष 2009 की सभी डिग्री मुद्रण होना शेष है। एक वर्ष व्यतीत हो चुके हैं यदि कार्य नये सिरे से प्रारंभ किया जाए तो विलम्ब होने की सम्भावना है। अतः स्वीकृत दर पर अनुबंध के अनुसार संबंधित फर्म को वर्ष 2009 की परीक्षा एवं पूर्व की शेष उपाधि मुद्रित करने की अनुमति दी जाए।

05. MCM पाठ्यक्रम की परीक्षा में प्रथम सेमेस्टर से तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में ATKT प्राप्त छात्रों को चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित किए जाने पर विचार करना ।

निर्णय : MCM पाठ्यक्रम की परीक्षा में प्रथम सेमेस्टर से तृतीय सेमेस्टर तक की परीक्षा में ATKT प्राप्त छात्रों को चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित किए जाने पर विचार किया गया एवं निर्णय लिया गया कि छात्रों को अंतिम अवसर प्रदान की जाए। चूंकि वर्तमान में यह पाठ्यक्रम बंद हो चुका है अतः इस प्रकरण को भविष्य में अन्य परीक्षाओं के लिए उदाहरण न माना जाए।

06. डॉ. मनीष राय, रीडर, रसायन अध्ययनशाला को विश्वविद्यालय सेवा से हटाए जाने के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19.04.2010 एवं 03.05.2010 को पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अधिवक्ता श्री प्रमोद वर्मा से प्राप्त विधिक अभिमत पर विचार करना ।

निर्णय : डॉ. मनीष राय, रीडर, रसायन अध्ययनशाला को विश्वविद्यालय सेवा से हटाए जाने के संबंध में याचिका प्रकरण 2105/2010 पर माननीय न्यायालय के 19.04.2010 एवं 03.05.2010 को पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में श्री प्रमोद वर्मा से प्राप्त विधिक अभिमत पर High Power Committee अथवा कोर्ट के आगामी आदेश तक डॉ. मनीष राय के कार्यभार ग्रहण तिथि को अस्थाई रूप से मान्य किया जाए। निर्णय की प्रतिलिपि माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्च शिक्षा विभाग को दी जावे।

07. शोध छात्रों की छात्रवृत्ति में वृद्धि किये जाने के संबंध में विचार करना ।

निर्णय : शोध छात्रों की छात्रवृत्ति एवं आकस्मिक व्यय में वृद्धि के संबंध में विचार किया गया एवं शोध छात्रवृत्ति की दर 2000/– से बढ़ाकर रू. 4000/– प्रतिमाह एवं आकस्मिक राशि रू. 3000/– से बढ़ाकर रू. 4000/– प्रतिवर्ष एवं एम.फिल. छात्र वृत्ति रू. 500/– रो बढ़ाकर रू. 1000/– प्रतिमाह का अनुमोदन किया गया।

08. विश्वविद्यालय विनियम 91 में संशोधन पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विनियम 91 में संशोधन को मान्य किया गया जो निम्नानुसार है :-

01. शासन द्वारा स्वीकृत सेटअप में कक्ष अधिकारी (वेतनमान 6500–200–9100) के पद स्वीकृत हैं, विनियम क्र. 91 में यह पद शामिल नहीं है, अतः प्रकरण विनियम 91 में शामिल किया जाना मान्य किया गया।

02. इस पद पर पदोन्नति वरिष्ठ अधीक्षक (वेतनमान 5500-175 9000) के पद से 100% किया गया है, अतः इसे भी विनियम क्रमांक 91 में शामिल किया जाना मान्य किया गया।

03. विनियम क्रमांक 91 में पदोन्नति हेतु लगातार तीन वर्षों में उत्कृष्ट वरिष्ठावली का उल्लेख है जबकि शासन में तृतीय वर्ग/चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के लिए गोपनीय प्रतिवेदन में केवल प्रतिकूल टीप्पणी न होने का जिक्र है। अतः तदनुसार विनियम क्रमांक 91 में संशोधन किया जाना मान्य किया गया।

04 विश्वविद्यालय के कर्मचारियों/अधिकारियों को राज्य शासन के नियमानुसार समयमान वेतनमान/क्रमोन्नति का लाभ दिया जाए।

09. **सपना कर,** सहायक प्राध्यापिका, शासकीय महाविद्यालय, अभनपुर के संबंध में जाँच समिति की अनुशंसा विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : **सुश्री सपना कर,** सहायक प्राध्यापिका, शासकीय महाविद्यालय, अभनपुर के संबंध में जाँच समिति की अनुशंसा पर विचार किया गया एवं निर्णय लिया गया कि सपना कर को विश्वविद्यालयीन परीक्षा कार्य से दो वर्षों के लिए वंचित किया जाए।

10. परिनियम 28 के तहत प्राचार्यों की नियुक्ति संबंधी चयन समिति की अनुशंसा को अनुमोदित करना।

निर्णय : निम्नलिखित महाविद्यालय में परिनियम–28 के तहत प्राचार्यों की चयन हेतु आयोजित चयन समिति की अनुशंसा संबंधी लिफाफा खोला गया एवं चयन समिति की अनुशंसा मान्य की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	प्राचार्य हेतु चयनित नाम
1.	सेंट्रल कालेज आफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी, फाफाडीह, रायपुर	डॉ. युलेन्द्र कुमार राजपूत

2. अलशम्स इंफोटेक महाविद्यालय, नगरी (सिहावा), जिला–धमतरी के लिए प्राचार्य हेतु किसी अभ्यर्थी को योग्य नहीं पाया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से

1. मैत्री डेंटल महाविद्यालय की प्रायोगिक परीक्षा में अनियमितता के संबंध में गठित जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया और निर्णय लिया गया कि दिनांक 30.04.2010 को आयोजित फार्मोकोलॉजी, बी.डी.एस. द्वितीय की सम्पूर्ण प्रायोगिक परीक्षा निरस्त की जाए।

2. कार्यपरिषद् सदस्य माननीय विधायक, श्री कुलदीप सिंह जुनेजा ने **श्री रघुराज प्रसाद मिश्रा,** सेवानिवृत्त, वाहन चालक पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के पेंशन प्रकरण का निराकरण अभी तक नहीं होने का जिक्र किया, निर्णय लिया गया कि प्रकरण 15 दिवस के अन्दर निराकृत किया जावे।

3. कार्यपरिषद् सदस्यों को दिए जा रहे रू. 500/– सीटिंग फीस बढ़ाए जाने का प्रस्ताव कार्यपरिषद् सदस्य माननीय विधायक, श्री कुलदीप सिंह जुनेजा ने रखा। इस पर विचार करते हुए माननीय कार्यपरिषद् सदस्यों को सीटिंग फीस रू. 500/– के स्थान पर रू. 1000/– दिये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

कार्यपरिषद् सदस्यों द्वारा अध्यक्ष को धन्यवाद दिये जाने के पश्चात् बैठक सम्पन्न हो गई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ.क्र. : 1134/ /अका./का.प./2010 रायपुर, दिनांक : 22/05/2010

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. समस्त विभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि विभाग से संबंधित निर्णयों का पालन प्रतिवेदन इस विभाग को प्रेषित करने का कृपया कष्ट करें।
4. जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/वित्त नियंत्रक/ प्रभारी अंकेक्षण,
5. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उप कुलसचिव (अका.)